क्रम-संख्या–193 (ख–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0 / एल0

डब्लू / एन0पी0–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 3 अक्टूबर, 2022

आश्विन 11, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग–1

संख्या 998 / 35–1–2022

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प0आ0–521

चूँकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4(4)(ख)(दो) में ऐसे प्रयोजन, जैसा कि केन्द्र सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे, के लिये स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन कराने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है;

और, चूँकि, भारत सरकार ने सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 बनायी है जिसके अधीन राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकती है;

और, चूँकि, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 13(4)/2020-ईजी-2(वाल्यूम-चार), दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4(4)(ख)(दो) के साथ पठित पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 के निबन्धनों में पहचान के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व सहमति से नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) द्वारा विनिर्मित और संचालित परिवार कल्याण योजना के अधीन निवासियों के परिवार आई0डी0

बनाये जाने के लिये नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) को अनुज्ञा प्रदान करने के निमित्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत करा दिया है।

अतएव, अब, सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पहचान के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) द्वारा विनिर्मित और संचालित परिवार कल्याण योजना के अधीन निवासियों के परिवार आई0डी0 बनाये जाने हेतु स्वैच्छिक आधार अधिप्रमाणन के निमित्त नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) को अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग), पहचान की पद्धतियां पृथक-पृथक अधिसूचित करेगा, यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करते हुये अधिप्रमाणन कराना न चाहता हो।

दावेदारों से संगृहीत किये जाने वाले सहमति प्रपत्र इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार,

सचिव।

अनुसूची "क"

संभावित डेटा साझाकरण के लिये प्रयोजनों की सूचना के लिए प्रपत्र

1–मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) और तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन यथा बोध्य मेरी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एकत्र की जा रही है:-

एक-आधार अधिप्रमाणन प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान को अधिप्रमाणित करना;

दो-आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (18 सन् 2016) के अधीन सहायकियों, लाभों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिये अधिप्रमाणन के उपरान्त पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण (परिवार आई0डी0/फैमिली आई0डी0/परिवार कल्याण योजना पोर्टल) करना;

तीन-केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) के अधीन संचालित सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों, जो विद्यमान हैं और भविष्य के कार्यक्रमों के लिये मेरी पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से मेरी पहचान सत्यापित करने हेतु मेरी आधार संख्या और जनसांख्यिकीय जानकारी और फोटोग्राफ को साझा करना;

2–मैं समझता/समझती हूँ कि नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) इस प्रपत्र के पैरा 1 (एक)-(तीन) में सूचीबद्ध समस्त या किसी प्रयोजन के लिए मेरी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी युक्त आधार-सीडेड डेटाबेस तैयार करेगा, और नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) यह सुनिश्चित करेगा कि लागू विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसी जानकारी की रक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किये गये हैं।.

3–मुझे इस प्रपत्र के पैरा 1 (एक)-(तीन) में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिये आधार आधारित अधिप्रमाणन और इसके उपरान्त इस प्रपत्र के पैरा 2 में वर्णित आधार-सीडेड डेटाबेस के निर्माण के लिये अपनी आधार संख्या, फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4–मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रदान की गयी मेरी 'अनापत्ति' परिवर्तनशील रहेगी और मुझे भविष्य में किसी भी समय इसे वापस लेने का अधिकार है जिसके लिये मेरे द्वारा संसूचित किया जायेगा।

व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिये सहमति

मैं........................., एतद्द्वारा नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (जनशक्ति नियोजन प्रभाग) के फैमिली आई0डी0/परिवार आई0डी0/परिवार कल्याण योजना पोर्टल के डेटाबेस बनाने के लिये एवं शासकीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने, पहचान निर्धारित किये जाने एवं/अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/सेवाओं/शासकीय/ अर्द्धशासकीय डाटाबेसों में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिये अपनी सहमति देता/देती हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस डेटाबेस का उपयोग उपरोक्तानुसार विभिन्न योजनाओं, सेवाओं इत्यादि से लाभान्वित करने एवं/अथवा मेरी पहचान तय करने के लिये किया जायेगा।

578 RPH-data 4e Niyojan fold

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 998/XXXV-1-2022, dated October 3, 2022:

No. 998/XXXV-1-2022

Dated Lucknow, October 3, 2022

WHEREAS section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as "the said Act"), allows performing authentication on voluntary basis for such purpose as the Central Government in consultation with the Authority and in the interest of the State, may prescribe;

AND WHEREAS the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 under which the State Government can seek permission to use Aadhaar authentication on voluntary basis;

AND WHEREAS Government of India *vide* Official Memorandum no. 13(4)/2020-EG-II(Vol-IV), dated 17th August, 2022 has conveyed the approval of the Competent Authority to allow Planning Department, Government of U.P. (Manpower Planning Division) for generation of Parivar ID of residents under Parivar Kalyan Yojna formulated and operated by Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) with prior concurrence of the State Government, for using Aadhaar authentication on voluntary basis, for the purpose of identification in terms of rule 5 of the aforesaid rules *read* with section 4(4)(b)(ii) of the aforesaid Act.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Governor is pleased to allow Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) to seek voluntary Aadhaar authentication for generation of Parivar ID of residents under Parivar Kalyan Yojna formulated and operated by Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) with prior concurrence of the State Government, for the purpose of identification.

The Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) shall separately notify the methods of identification in case the claimant does not intend to authenticate using his Aadhaar.

The consent form to be collected from the claimants is specified in Schedule "A" appended to this notification.

By order,
ALOK KUMAR,
Sachiv.

SCHEDULE "A"

Form for Intimation of Purposes for prospective data sharing

1. I understand that my Aadhaar number, photograph and demographic information, as understood under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) and regulations framed there under, is being collected by the Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) for the following purposes:-

i. Authenticating my identity by way of the Aadhaar authentication system;

ii. Registering on the Portal (Parivar ID/Family ID/Parivar Kalyan Yojana Portal), after authentication, for availing subsidies, benefits & services under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

iii. Sharing of my Aadhaar number and demographic information and photograph, for verifying my identity for the purpose of determining my eligibility across Government welfare programmes, which are in existence and for future programmes, run by the Central Government and State Governments under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

2. I understand that the Planning Department, Government of U.P. (Manpower Planning Division) shall create an Aadhaar-seeded database containing my Aadhaar number, photograph and demographic information for all or any of the purposes enlisted in paragraphs 1(i)-(iii) of this form, and that the Planning Department, Government of Uttar Pradesh (Manpower Planning Division) shall ensure that requisite mechanisms have been put in place to ensure safety, security and privacy of such information in accordance with applicable laws, rules and regulations.

3. I have no objection to provide my Aadhaar number, photograph and demographic information for Aadhaar based authentication for the purposes enlisted in paragraphs 1(i)-(iii) of this form and further for creation of an Aadhaar-seeded database as described Paragraph 2 of this form.

4. I also understand that my 'no-objection' accorded in this form is revocable and I have the right to withdraw the same at any time in future, through a communication of opting out.

Consent For Using Personal Data

I..........................., hereby give consent to use my personal data available with different schemes/programmes/services/Government/Quasi-Government databases for creation of Family ID/Parivar ID/Parivar Kalyan Yojana Portal database of Planning Department, Government of U.P. (Manpower Planning Division) and for availing Government services, benefits under Government schemes, estabilishing identity and/or other purposes. I am aware that this database shall be used for above purposes to provide benefits of different schemes/programmes/services *etc.* and/or to establish my identity.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 578 राजपत्र–2022–(940)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० नियोजन–2022–(941)–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

578 RPH-data 4e Niyojan fold.